कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809010

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -करापवंचन -08-09/ 117 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(चेक पोस्ट-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 22 अप्रैल, 2008

समस्त

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0 नु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, इटावा

समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ वि0 नु0शा0 /कर निर्धारण)वाणिज्य कर, उ0प्र0।

आप अवगत हैं कि दिनांक 01-01-08 से प्रान्त में मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू की जा चुकी है । मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त प्रवर्तन इकाईयों के कार्यो की समीक्षा पर यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रवर्तन इकाईयॉ करापवंचको को चिन्हित करने तथा उनके द्वारा करापवंचन हेतु अपनायी गयी मौडेस औपरेन्डी की जानकारी करने तथा प्राथमिकता के आधार पर करापवंचन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही नही कर पा रही हैं । प्रवर्तन इकाईयों का मुख्य दायित्व करापवंचन के मामलों को पकड़ने तथा कर माफियाओं के विरुद्ध डिटेरेन्ट कार्यवाही करना है परन्तु अधिकांश स्तरो ं पर प्रवर्तन इकाईयों के द्वारा की गयी कार्यवाही समुचित नही पायी गयी है । यह भी अनुभव कियागया है कि प्रवर्तन इकाईयॉ यदा-कदा जब कोई प्रभावी कार्यवाही करती भी हैं तो उससे संबंधित सूचना की शेयरिंग अन्य प्रवर्तन इकाईयों से नही की जाती है जिसके परिणामस्वरुप करापवंचकों द्वारा उस मौडेस औपरेन्डी से कार्य लगातार क्रिया जाता रहता है । अत: इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रवर्तन इकाई जहॉ अपने दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करें वही ऐसे विशिष्ट मामलों केसंबंध में अपने क्षेत्र की तथा अन्य क्षेत्रों की प्रवर्तन इकाईयों से भी सूचना को शेयर करें तथा प्रवर्तन इकाईयों के इस कार्य की समीक्षा साप्ताहिक रुप से ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0 नु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर के द्वारा की जाये ।

यह सर्वविदित है कि रेलवे के माध्यम से करापवंचित माल के परिवहन की स्थिति में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णत:अपर्याप्त हैं । आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2008 एवं संबंधित नियमावली में रेलवे से माल का आयात होने की स्थिति में स्पष्ट विशिष्ट व्यवस्था की जा चुकी है परन्तु इन प्राविधानों का प्रभावी उपयोग अभीतक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाना स्पष्ट नही हुआ है । जिन रेलवे स्टेशनों पर एस0एल0 आर0 के माध्यम से माल आ रहा है तथा जिन स्थानों पर रेलवे सिटी बुकिंग एजेन्सियॉ कार्यरत हैं वहां इस संबंध में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी जॉच नही की गयी है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है । सामान्यत: यह समझा जाता है कि रेलवे के माध्यम से करापवंचन रोकने का दायित्व रेलवे जॉच चौकी /रेलवे सचलदल के अधिकारियो का है जबकि पूर्व मे ही स्पष्ट आदेश दिये जा चुके हैं कि रेलवे के माध्यम से परिवहित किये जा रहे करापवंचित माल को रोकने का दायित्व प्रवर्तन कार्य में लगे सभी अधिकारियों का है । इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता है । सभी जोनल एडिशनलकमिश्नर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/प्रवर्तन) इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही कराने के लिये व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी हैं । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / रेलवे अधिकारियों से वार्ता करके प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

सचलदल इकाइयों का यह दायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित ट्रान्सपोर्ट कंपनियों के संबंध में विस्तृत जानकारी रखें तथा उनके संबंध में अभिसूचना संकलित कर अपने पास रखे गये रजिस्टर में उनके नाम व पते, वाहन संख्या , वाहन मालिक केनाम व पते आदि दर्ज करायें । करापवंचन में लिप्त ट्रान्सपोर्ट कंपनियों / वाहनों के संबंध में विशेष रुप से जानकारी की जाये तथा ऐसी जानकारी से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाये ताकि इस संबंध में अन्य क्षेत्रों की सचलदल इकाइयों को भी अवगत कराया जा सके । प्रत्येक सचलदल इकाई का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र मे आने वाले , उनके क्षेत्र से जाने वाले माल की नियमित रुप से एवं योजनाबद्ध ढंग से जॉच करते हुये यह जानकारी करें कि कही कोई व्यापारी करापवंचन मे लिप्त तो नही है । ऐसे व्यापारियों के संबंधित बिलों का संग्रहण और उनका तत्काल कर निर्धारण अधिकारियों से मिलान कराया जाना इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिये। अपने द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी को गोपनीय रुप से उच्चाधिकारियों की जानकारी में लाते हुये अन्य प्रवर्तन इकाईयों को गोपनीय रुप से अवगत कराकर संयुक्त कार्यवाही कराया जाना भी उनका दायित्व है । अत: निर्देश दिये जाते हैं कि सचलदल इकाईयॉ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले माल के साथ -साथ उनके अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरने वाले माल की जॉच नियमित एवं योजनाबद्ध रुप से करते हुए करापवचंन पर प्रभावी अंकुश लगायें।

विशेष अनुसंधान शाखा के द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही से भी यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन इकाईयों द्वारा कोई विशिष्ट कार्ययोजना बना कर कार्यवाही नहीं की जाती है। विशेष अनुसंधान शाखा से यह अपेक्षित है कि वहअपने क्षेत्र में हो रहे करापवंचन के तरीकों का अध्ययन करें, और कार्ययोजना तैयार करें तथा राजस्व के दृष्टिकोंण से महत्वपूर्ण ट्रेड से सम्बन्धित बड़ी इकाईयों के सम्बन्ध में निरन्तर अभिसूचना एकत्रित करके उसका मिलान उनके द्वारा कर-निर्धारण अधिकारी के यहॉ घोषित आकॅड़ों से करते रहें। प्रत्येक विशेष अनुसंधान शाखा का यह दायित्व हैकि उनके अधिकार क्षेत्र में करापवंचन न होने पाये तथा करावंचन का कोई भी प्रयास जल्दी से जल्दी विभाग की पकड़ में आ जाये, इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। विशेष अनुसंधान शाखा का यह भी दायित्व हैकि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत व्यापारियों / निर्माता व्यापारियों के द्वारा भेजे जाने वाले माल एवं प्राप्त किये जाने वाले माल की योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार जॉच करते रहें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित व्यापारी / निर्माता करापवंचन में लिप्त तो नहीं है। विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों को बड़े करापवचंकों के विरुद्ध नियमित रुप से प्रभावी कार्यवाही हेतु स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग लेकर प्रभावी कार्यवाही समय रहते करना अत्यन्त आवश्यक है । विशेष अनुसंधान शाखा का यह भी दायित्व है कि उन्हें जब भी करापवचंन की किसी मोडेस आपरेन्डी की जानकारी हो तो वह तत्काल उसे अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश की अन्य सम्बन्धित इकाईयों को भी अवगत करायें ताकि प्रभावी रुप से सभी करापवंचक व्यापारियों के विरुद्ध एक साथ कार्यवाही पर विचार किया जा सके ।

जांच चौकियों पर तैनात अधिकारियों द्वारा प्रपत्रों एवं वाहनों की जांच गहनता से न किये जाने के कारण ऐसे प्रकरण प्रकाश में आते रहे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि विभिन्न " मोडस ओपरेन्डी " अपनाते हुए लम्बे समय तक करापवंचन किया जाता रहता है तथा विभाग को इसे रोकने में बहुत विलम्ब से सफलता मिल पाती है एवं तब तक काफी देर हो चुकी होती है । इससे यह संकेत मिलता है कि पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा जांच चौकियों पर पास किये जा रहे प्रपत्रों से स्प्ष्ट होने वाले ट्रेंड्स की नियमित समीक्षा करके यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती है । आवश्यक यह है कि सभी अधिकारी इस सम्बन्ध में सजग रहते हुए गहन जांच

करें तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी तत्काल अवगत कराये । यदि मुख्यालय स्तर से किसी कार्यवाही की अपेक्षा हो तो तत्काल मुख्यालय को अवगत कराना आवश्यक है ।

प्रवर्तन इकाइयों द्वारा योजना बनाकर ठोस एवं सार्थक कार्यवाही न किया / कराया जाना खेदजनक है । करापवंचन रोकने की दिशा में ठोस / सार्थक कार्यवाही कियें जाने का दायित्व प्रवर्तन कार्य मे लगे सभी अधिकारियो का है किन्तु किसप्रकार , किस तरीके से कहॉ एवं कैसे करापवंचन हो रहा है एवं उसे किस कारगर ढग से रोका जा सकता है / प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है , यह तभी संभव है जब इस संबंध में पहले से ही कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार हो । यह कार्य सफलतापूर्वक तभी हो सकता है जब जोनल / संभागीय नियंत्रक /पर्यवेक्षक अधिकारी यथा- जोनल एडिशनल कमिश्नर , संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/प्रवर्तन) अपनी देखरेख मे प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराये एवं उसपर ठोस एवं सार्थक कार्यवाही कराते हुये परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

अत: समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/प्रवर्तन) / डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन / वि0 नु0शा0) से अपेक्षित है कि वे प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों को उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्य योजना बनाकर प्रभावी ढंग से करापवंचन रोकने की दिशा में ठोस एवं सार्थक कार्यवाही करने / कराने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा करें एवं जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अपेक्षित हो , उनके संबंध मे केवल जोनल एडिश्नल कमिश्नर, वाणिज्य कर अपने स्तर से अपनी स्पष्ट तथ्यात्मक आख्या / संस्तुति सहित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें ।

संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से अपेक्षित है कि प्रवर्तन इकाई अथवा वि0 नु0शा0 इकाई द्वारा प्रेषित किए गये बिल / गोपनीय प्रतिवेदन पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी से समयबद्ध कार्यवाही (अर्थदण्ड/ कर निर्धारण) कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

2. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश , 5 , मीराबाई मार्ग , लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / अपील /उच्च न्या0 कार्य0 /सर्वोच्च न्या0 कार्य)वाणिज्य कर, उ0 प्र0 ।
6. समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण / राज्यप्रतिनिधि //जॉच चौकी) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त वाणिज्य कर अधिकारी , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
10. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त ।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर ,
मुख्यालय , लखनऊ ।